

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं  
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

श्री ब्रिजेन्द्र स्वरूप,  
वन महानिरीक्षक,  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,  
नई दिल्ली-110003

**विषय:- Proposal for diversion of 530.85 ha. (instead of 505.5 ha.) of forest land for Construction of Banda Irrigation project in favour of M/s Water Resources Department, Sagar, in Sagar Distriet, Madhya Pradesh State-regarding -reg.**

**संदर्भ:-** भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-04/2020-FC दिनांक 11.05.2021

----0----

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के द्वारा प्रकरण की स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :-

स.क्र.	बिन्दु	अद्यतन स्थिति
(i)	The 22.34 ha area of the CA site namely Munderi (Khasra no. 54) is overlapping with the CA site of another project having file no 8-11/2018-FC namely Kadan medium project, in which the In-principle approval has already been accorded by this Ministry. The justification/clarification regarding this overlap is required in this regard.	आवेदक संस्था ने संशोधित KML file पोर्टल पर अपलोड कर दी है।
(ii)	It has been intimated that 0.675ha of proposed forest land is granted/allotted under the FRA, 2006. However, it has not been justified/clarified whether this 0.675 ha area is being excluded from diversion or the forest dwellers would be rehabilitated. Accordingly justification/clarification is required in this matter.	आवेदक संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि एफ.आर.ए. पट्टाधारी को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार विस्थापित किया जायेगा। इस संबंध में अनुरोध है कि पूर्व में भी कई प्रकरणों जैसे भावसा (275.04 हेक्टेयर) में भी वनाधिकार पट्टाधारियों को नियमानुसार विस्थापित किया गया है। इसी प्रकार इस प्रकरण में भी विस्थापन की कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(सुनील अग्रवाल)


पृ. क्रमांक/एफ-3/2021/10-11/1676

भोपाल, दिनांक 31-5-21

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, उत्तर सागर, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, Bina Project Near Collector Compound, सागर मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल